संख्या–539/चौवालिस-1-195/88-90

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/
बीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 2 मार्च, 1990

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के गैर सरकारी निदेशकों को देय यात्रा/दैनिक भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त गैर सरकारी निदेशकों को शासनादेश संख्या–3451/ब्यूरो–79-80/78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 में निर्धारित भत्ते एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है। सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय प्रश्नगत विषय में समस्त विद्यमान आदेशों का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् निदेश देते हैं।

(क) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ताः

सार्वजनिक उद्यमों के निदेशक मण्डल अथवा उसकी उप समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु बाहर से आने की दशा में गैर सरकारी निदेशकों को सम्बन्धित उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनुमन्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता आदि अनुमन्य होगा। गैर सरकारी निदेशकों द्वारा निदेशक मण्डल अथवा उसकी उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए की गई यात्रा के लिए कूपन/पास का उपयोग करके यात्रा की जाती है तो उन्हें ऐसी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय न होगा, किन्तु ऐसी यात्रा के लिए प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय दरों पर देय होगा।

गैर सरकारी निदेशक को उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के दिवसों के लिए यदि किसी अन्य श्रोत से दैनिक भत्ता उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम से कोई भत्ता देय न होगा।

(ख) सिटिंग फीस

निदेशक मण्डल अथवा उसकी समिति/उप समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सिटिंग फीस भी अनुमन्य होगी। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल अथवा उसकी समिति/उप समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सिटिंग फीस की उच्चतम सीमा प्रतिदिन क्रमशः रू० 200 - तथा रू० 100/- से अधिक न रखी जाय। निगमों के प्रबन्धक मण्डल, निगम के आकार, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा विनियोजित पूंजी के आधार पर इस सीमा को दृष्टिगत रखते हुए सिटिंग फीस निर्धारित करें।

2. यह भी स्पष्ट करना है कि उपरोक्त सुविधायें केवल गैर सरकारी निदेशकों को ही अनुमन्य होगी। संवारत सरकारी सेवकों को उसी दर से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि अनुमन्य होगा जिस दर से वे सरकारी कार्य से यात्रा करने पर पाने के हकदार हैं।

3. राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को भत्ते एवं सुविधायें समय–समय पर यथा संशोधित राज्य विधान मण्डल अर्हता निवारण अधिनियम–1971 के अन्तर्गत अनुमन्य होंगे।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(आर० रमणी)
सचिव।

संख्या–539 (1)/चौवालिस–1-195/88-90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(प्रेम शंकर)
संयुक्त सचिव।